रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप -खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2387] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 22, 2019/आषाढ़ 31, 1941
No. 2387] NEW DELHI, MONDAY, JULY 22, 2019/ASHADHA 31, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2019

का. आ. 2617(अ).—जबकि, केन्द्र सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) को दिनांक 10 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 10 जुलाई, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 2469(अ) के तहत एक विधिविरुद्ध संगम घोषित किया है;

अत:, अब, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के अंतर्गत उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली समस्त शक्तियों का पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की राज्य सरकारों तथा चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा भी उपर्युक्त विधिविरुद्ध संगम के संबंध में प्रयोग किया जाएगा।

[फा. सं. 17014/32/2019-आईएस-VII]

एस.सी.एल. दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2019

S.O. 2617(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government has declared the Sikhs For Justice (SFJ) to be an unlawful association *vide* notification number S.O. 2469(E) dated 10th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 10th July, 2019;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 42 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby directs that all powers exercisable by it under section 7 and section 8 of the said Act shall be exercised also by the State Governments of Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Government of National Capital Territory of Delhi and Chandigarh Administration in relation to the above said unlawful association.

[F.No.17014/32/2019-IS-VII]

S.C.L. DAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.07.22 22:21:24 +05'30'